अध्याय–IV
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग की प्राप्तियों का विनियमन मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0अ0), केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (के0मो0या0नि0), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम) तथा उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली) के प्रावधानों के अन्तर्गत होता है।

प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश, शासकीय स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होते है। करों एवं शुल्क के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित होती है जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्र में छः उप परिवहन आयुक्तों (उ0प0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (सं0प0आ0) तथा 72 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0सं0प0अ0) (प्रशासन) द्वारा की जाती है। सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण का सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन किया जाता है तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों से सम्बन्धित करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन किया जाता है। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासन सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रशासित होता है।

4.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

किसी संगठन की आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया में आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे सामान्यतः सभी नियंत्रको के नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को स्वयं सुनिश्चित कराता है कि निर्धारित तन्त्र भलीभाँति कार्य कर रहे हैं।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) वित्त नियंत्रक द्वारा नियंत्रित की जाती है। आ0ले0प0शा0 में एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं छः लेखापरीक्षकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं तीन लेखापरीक्षक को पदस्थ किया गया है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजना जैसे कि लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 4.1** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.1

आन्तरिक लेखापरीक्षा

वर्ष	आ0ले0प0 हेतु उपलब्ध कुल इकाईयों की संख्या	आ0ले0प0 हेतु आयोजित इकाईयों की सं0	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2010–11	101	32	18	14	43.75
2011–12	101	36	22	14	38.88
2012–13	101	40	19	21	52.50
2013–14	101	31	22	09	29.03
2014–15	101	31	27	04	12.90

स्रोतः विभाग से प्राप्त सूचना

यह प्रदर्शित करता है कि आ0ले0प0शा0 की लेखापरीक्षा आयोजना यथार्थपरक नहीं है जैसा कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान कमी 12.90 प्रतिशत से 52.50 प्रतिशत के मध्य रही। विभाग द्वारा इसका कारण वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना का विलम्ब से

अनुमोदन बताया गया। हम विभाग द्वारा बताये गये कारण से सहमत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आयोजना समय सारणी के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।

आ0ले0प0शा0 द्वारा सम्पादित की गयी आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं वर्ष के दौरान उठाई गयी और निस्तारित की गयी आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि **सारणी 4.2** में दर्शायी गयी है।

सारणी 4.2

अनिस्तारित प्रस्तरों और धनराशि का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम शेष	
	प्रकरणो की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणो की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणो की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणो की सं0	सन्निहित धनराशि
2010–11	4,429	2,144.00	153	139.00	0	0.00	4,582	2,283.00
2011–12	4,582	2,283.00	204	81.00	0	0.00	4,786	2,364.00
2012–13	4,786	2,364.00	137	73.00	12	13.00	4,911	2,424.00
2013–14	4,911	2,424.00	198	54.00	19	21.00	5,090	2,457.00
2014–15	5,090	2,457.00	144	48.00	8	2.00	5,226	2,503.00

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाये गये प्रकरणों के विरुद्ध विभाग द्वारा किया गया अनुपालन अत्यन्त कम है।

हम संस्तुति करते है कि आ0ले0प0शा0 को मजबूत किया जाय और वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना को यथार्थपरक रूप से तैयार किया जाय। आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाये गये प्रकरणों में त्वरित वसूली हेतु विभाग द्वारा समुचित कदम उठाना चाहिये।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

परिवहन विभाग ने वर्ष 2014–15 में ₹ 3,797.58 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2014–15 के दौरान हमने विभाग से सम्बन्धित 72 इकाईयों के अभिलेखों का परीक्षण किया और कर के न/कम निर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं में सन्निहित ₹ 70.01 करोड़ के 567 मामले पाये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि **सारणी 4.3** में वर्णित है :

सारणी 4.3

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	• यात्रीकर/ अतिरिक्त कर	32	30.80
	• मार्ग कर	20	6.20
	• माल कर	02	0.28
	की न/कम वसूली		
2.	**अन्य अनियमिततायें**	513	32.73
	योग	**567**	**70.01**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

वर्ष 2014–15 के दौरान विभाग ने 17 मामलों में ₹ 90.63 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से तीन प्रकरणों में ₹ 10.06 लाख की धनराशि की वसूली की गयी। शेष प्रकरणों में विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुपालन में कमी के कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 38.82 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है।

4.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

परिवहन विभाग कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में प्रशमन शुल्क, प्रार्थनापत्र शुल्क, कर, अतिरिक्त कर, परमिट शुल्क, स्वास्थता शुल्क, पंजीयन शुल्क के न/कम आरोपण के मामलें तथा अर्थदण्ड के न/कम आरोपण के मामले प्रकाश में आये जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में इंगित किया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा निष्पादित नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की अधिकांश त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं, परन्तु ऐसी अनियमिततायें न केवल बनी रहती है अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक प्रकाश में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

4.5 परमिट में अनियमिततायें

4.5.1 परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर प्रशमन शुल्क का अनारोपण

745 मंजिली गाड़ी वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रशमन शुल्क ₹ 29.80 लाख का अनारोपण हुआ।

उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के नियम 70 के अनुसार मोटर कैब से भिन्न ठेका पर चलने वाले वाहन स्वामियों द्वारा यात्रियों की सूची और वाहन के लाग बुक का त्रैमासिक सारांश, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये गये परमिट की शर्तों और नियम में अपेक्षित है, जमा करना होता है। मो0या0 अधिनियम की धारा 192–ए परमिट की शर्तों के उल्लंघन के लिए शास्ति परिभाषित करती है। परमिट की शर्तों का उल्लंघन दिनांक 25 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित ₹ 4,000 प्रति प्रकरण प्रशमन शुल्क का आरोपण आकर्षित करता है।

हमने 72 सं0प0अ0/स0सं0प0अ0 कार्यालयों में से छः की मंजिली गाड़ी वाहनों की यात्रा मार्ग पत्रावलियों की जाँच जून 2014 से दिसम्बर 2014 के मध्य की और पाया कि 2,170 में से 745 मंजिली गाड़ी वाहन जो मंजिली गाडियों के परमिट से आच्छादित तथा जून 2013 से नवम्बर 2014 की अवधि के दौरान संचालित थे लेकिन किसी भी वाहन स्वामी ने वाहन के आने जाने की समय सारणी जैसा कि नियमों में विहित है, प्रस्तुत नहीं किया। इस विफलता के लिये विभाग द्वारा प्रशमन शुल्क ₹ 29.80 लाख न तो आरोपित और न ही वसूल किया गया जैसा कि **सारणी 4.4** में दर्शाया गया है:

सारणी 4.4
परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर प्रशमन शुल्क का अनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	शास्ति की दर	कुल शास्ति
1	सं0 प0 अ0 आगरा	37	4,000	1,48,000
2	स0 सं0 प0 अ0 बुलन्दशहर	124	4,000	4,96,000
3	सं0 प0 अ0 गाजियाबाद	301	4,000	12,04,000
4	सं0 प0 अ0 मेरठ	27	4,000	1,08,000
5	सं0 प0 अ0 मीरजापुर	236	4,000	9,44,000
6	स0 सं0 प0 अ0 उन्नाव	20	4,000	80,000
योग		**745**		**29,80,000**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग तथा शासन को (दिसम्बर 2014 और अप्रैल 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर मे विभाग ने तीन प्रकरणों में बताया (सितम्बर 2015) कि लाग बुक और यात्रियों की सूची को प्रस्तुत न करने से शास्ति आकृष्ट नहीं होती क्योंकि

यह परमिट की शर्तों का उल्लंघन नहीं है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि मो0यान अधिनियम की धारा 192–ए स्पष्ट रूप से परमिट शर्तों के उल्लंघन के लिये शास्तियाँ परिभाषित करती हैं और उपरोक्त अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाना उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के नियम 70 के अधीन निर्गत परमिट की अतिरिक्त नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

4.5.2 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाना

105 माल वाहन बिना राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण कराये मार्गों पर संचालित पाये गये। इसके फलस्वरूप समेकित तथा प्रार्थना पत्र शुल्क के रूप में ₹ 18.38 लाख़ की धनराशि की वसूली नही हुयी।

मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0अ0) की धारा 81 प्राविधानित करती है कि परमिट पाँच वर्षों के लिए वैध होता है। तथापि, के0मो0या0नि0 के नियम 87(3) के अनुसार राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार एक वर्ष के लिए होता है। परिवहन आयुक्त के फरवरी 2000 के आदेश के अनुसार सम्बन्धित आधिकारी प्राधिकार पत्र के समाप्ति के 15 दिनों के भीतर परमिट धारक को नोटिस निर्गत करेंगे कि वह स्पष्ट करें कि प्राधिकार पत्र नवीनीकरण न कराये जाने पर क्यों न उसका परमिट निरस्त कर दिया जाये और निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्राप्त नही होने पर परमिट को निरस्त कर दिया जायेगा। राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र हेतु समेकित फीस ₹ 16,500 वार्षिक के साथ प्राधिकार पत्र के प्रार्थनापत्र हेतु ₹ 1,000 शासकीय खाते में जमा किया जाना था।

हमने नवम्बर 2014 और फरवरी 2015 के मध्य 19 सं0 प0 का0 में से तीन (आगरा, इलाहाबाद और बरेली) के वाहनों की पत्रावलियों, परमिट रजिस्टर, रसीद बुकों और रोकड़ पुस्तिकाओं की जाँच की और पाया कि जून 2013 से जनवरी 2015 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित 10,532 में से 105 माल वाहन परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी बिना राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण कराये, मार्गों पर संचालित हो रहे थे। इसके फलस्वरूप समेकित शुल्क तथा प्रार्थना पत्र शुल्क के रूप में ₹ 18.38 लाख की धनराशि की वसूली नही हुयी।

समस्त सूचनायें जैसे प्राधिकार–पत्र की वैधता समाप्ति की तिथि, भुगतान किया गया कर तथा राष्ट्रीय परमिट से युक्त वाहनों के अन्य विवरण वाहन साफ्टवेयर जिसे वाहनों के विवरण यथा पंजीयन प्रमाण–पत्र, परमिट एवं कर आदि रखे जाने हेतु प्रकल्पित किया गया था, में उपलब्ध थे इसके बावजूद, विभाग को इन प्रकरणों का पता नहीं लगा। विभाग द्वारा परमिट धारको को नोटिस निर्गत करने तथा परमिट के निरस्तीकरण जैसा कि परिवहन आयुक्त के के आदेश में विनिर्दिष्ट था, हेतु कोई कार्यवाही भी प्रारम्भ नहीं की गयी।

हमने मामलों को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (जनवरी 2015 से मई 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और 37 प्रकरणों में ₹ 4.91 लाख की वसूली की। अन्तिम स्थिति प्रतीक्षित है।

4.6 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण

नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयी नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत 464 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर के रूप में ₹ 30.36 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश के किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 (28 अक्टूबर 2009 से यथा संशोधित) की धारा 6 की उप धारा (1) के प्रावधानों

के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत संचालित राज्य परिवहन उपक्रम के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त रहेंगे।

हमने सात[1] सं0 प0 का0 में से कानपुर नगर, लखनऊ एवं वाराणसी के सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों मे मार्ग एवं कर पत्रावली और उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा प्रस्तुत विवरणी और चालान का परीक्षण किया (मई 2015) और पाया कि नवम्बर 2009 से मार्च 2015 की अवधि में नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत 636 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसों में से 464 बसें नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित हो रही थीं एवं अतिरिक्त कर के रूप में ₹ 30.36 करोड़ के भुगतान की दायी थीं। परिवहन अधिकारियों ने नगर निगम क्षेत्र से बाहर वाहनों के संचालन पर कोई कार्यवाही, यथा अतिरिक्त कर जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करना, विभाग के प्रवर्तन शाखा द्वारा पुलिस की अभिरक्षा में वाहनों को बन्द करना या अतिरिक्त कर जमा न करने पर वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करना, प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.36 करोड़ का अतिरिक्त कर अनारोपित रहा। विवरण **सारणी 4.5** में इंगित किया गया है।

सारणी 4.5
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण

(₹ लाख में)

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	वाहनों की कुल संख्या	नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित वाहनों की संख्या	अवधि	आरोपणीय अतिरिक्त कर
1.	सं0 प0 का0 कानपुर नगर	270	183	12/2009 से 03/2015	1352.11
2.	सं0 प0 का0 लखनऊ	236	156	07/2013 से 03/2015	443.99
3.	सं0 प0 का0 वाराणसी	130	125	11/2009 से 03/2015	1240.39
	योग	**636**	**464**		**3036.49**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और क्षेत्रीय प्रबन्धकों को नोटिस निर्गत कर दिया।

4.7 वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न होना

विभाग के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिससे कि देयकर स्वीकार करने के समय वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र था ज्ञात हो सके। बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित 5,820 वाहनों पर ₹ 35.71 लाख़ स्वस्थता शुल्क तथा ₹ 2.33 करोड़ शास्ति के आरोपण के दायी थे।

मो0या0 अधिनियम की धारा 56 एवं उसके अधीन निर्मित के0मो0या0 नियमावली, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके पास स्वस्थता प्रमाण पत्र न हो। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध होता है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण करना आवश्यक है। तिपहिया, हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए निर्धारित जाँच फीस क्रमशः ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के वाहनों पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ₹ 100 का नवीनीकरण शुल्क भी आरोपणीय है। विफलता की स्थिति में

[1] आगरा, इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ एवं वाराणसी

निर्धारित फीस के समतुल्य अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। मो0या0 अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अन्तर्गत बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहन का संचालन अधिसूचना सं0 1452/30–4–10–172/89 दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा ₹ 4,000 की दर से प्रशमन योग्य होता है।

हमने 72 सं0 प0 का0/स0 सं0 प0 का0 में से 25 सं0 प0 का0/स0 सं0 प0 का0 के कर पंजिका, वाहनों के पत्रावलियों, वाहनों के डाटाबेस, रसीद बुकें एवं रोकड़ पुस्तिकाओं की (जून 2014 और मार्च 2015 के मध्य) जाँच की और पाया कि जून 2013 और फरवरी 2015 के मध्य 3,71,624 वाहनों में से 5,820 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित थे यद्यपि उनसे देय कर वसूल किया गया था। कालातीत हो चुके स्वास्थता प्रमाण पत्र वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने की विभाग ने न तो कार्यवाही प्रारम्भ की और यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने के अतिरिक्त चूककर्ता वाहन स्वामियों पर न ही मो0या0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड आरोपित किया। ऐसे वाहनो का संचालन लोक सुरक्षा को जोखिम में डालना था। ऐसे वाहन स्वस्थता शुल्क ₹ 35.71 लाख तथा शास्ति ₹ 2.33 करोड़ के आरोपण योग्य थे जैसा कि **परिशिष्ट –XIV** में दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2014 से मई 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और ₹ 9.59 लाख की वसूली की। अन्तिम स्थिति प्रतीक्षित है।

4.8 गैर परिवहन यानों के पंजीयन का नवीनीकरण न कराया जाना

पंजीयन समाप्त हो चुके 6,709 गैर परिवहन यानों का पुनर्पंजीयन न होने से ₹ 40.25 लाख के पुनर्पंजीयन शुल्क, शास्ति, स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क और प्रमाण पत्र शुल्क की वसूली नहीं हुयी।

मो0या0 अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत प्रत्येक यान का पंजीयन होना आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा 41 (7) प्राविधानित करती है कि गैर परिवहन यान का पंजीयन 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है तथा पंजीयन का नवीनीकरण अनुवर्ती पाँच वर्षो के लिए किया जा सकता है। इसके लिए यान के पुनर्पंजीयन के समय स्वस्थता की जाँच भी आवश्यक है और इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा जिसके लिए ₹ 200 स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क और ₹ 100 प्रमाण पत्र निर्गमन के लिए उद्गृहणीय है। अधिनियम की धारा 177 के अधीन गैर परिवहन हल्के मोटर यान के लिए ₹ 200 पुनर्पंजीयन शुल्क तथा विलम्ब की दशा में ₹ 100 शास्ति भी आरोपणीय है। मो0या0 अधिनियम की धारा 192 के अनुसार यदि यान धारा 39 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए प्रयोग में लाये जाते है तो वह प्रथम अपराध के अर्थदण्ड, जो ₹ 5,000 तक विस्तारित हो सकेगा किन्तु ₹ 2,000 से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा।

हमने 72 स0प0का0/स0स0प0का0 में से 15 स0प0का0/स0स0प0का0 के वाहनों की पत्रावलियों, वाहनों के डाटाबेस, रसीद बही और रोकड़ बही की जाँच किया (मई 2014 से मार्च 2015) और पाया कि 5,56,361 गैर परिवहन हल्के मोटर यान में से 6,709 यान अप्रैल 1993 से फरवरी 2000 के दौरान 15 वर्षो के लिए पंजीकृत हुऐ थे। इन यानों का पंजीयन अप्रैल 2008 से फरवरी 2015 के दौरान समाप्त हो गया था लेकिन इनमें से कोई वाहन पुनः पंजीकृत नहीं हुआ जिसके कारण पुनर्पंजीयन शुल्क, शास्ति, स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क और प्रमाण पत्र शुल्क के ₹ 40.25 लाख की वसूली नहीं हो पायी।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2014 से मई 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और ₹ 1.40 लाख की वसूली की। अन्तिम स्थिति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

4.9 अधिक भार लदे वाहनों पर कैरेज बाई रोड अधिनियम 2007 के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण

अधिक भार लदान के 1,786 प्रकरणों में विभिन्न श्रेणियों के वाहनों को निरुद्ध किया गया था किन्तु विभाग द्वारा कैरेज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 4.08 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

कैरेज बाई रोड अधिनियम, 2007 की धारा 5 (3) निर्दिष्ट करती है कि यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या मो0या0 अधिनियम के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को धारा–4 की उपधारा 8 के उपबन्धों के अतिक्रमण का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो वह सामान्य वाहक पर मो0या0 अधिनियम की धारा 194 के अधीन विहित शास्ति अधिरोपित करने के लिये इस तथ्य के होते हुये भी सक्षम होगा कि ऐसी शास्ति यथास्थित, माल यान के चालक या स्वामी या प्रेषक पर पहले ही अधिरोपित की जा चुकी है और उससे वसूल की जा चुकी है।

सामान्य वाहक के पंजीयन न कराने के सम्बन्ध में कैरेज बाई रोड अधिनियम, 2007 की धारा 18 (1) प्रावधानित करती है कि जो कोई धारा 3, धारा 13 के उपबन्धों का या धारा 14 के अन्तर्गत निर्गत किसी अधिसूचना का उलंघन करेगा, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो ₹ 5000 तक का हो सकेगा ओर और दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से जो ₹ 10000 तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

हमने 72 स0प0का0/स0स0प0का0 में से 47 स0प0का0/स0स0प0का0 की अभियोजन बहियों, अपराध एवं जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच (जून 2014 से मार्च 2015) की और पाया कि अप्रैल 2013 से फरवरी 2015 की अवधि के दौरान 11,239 प्रकरणों में से 1,786 में विभिन्न श्रेणियों के वाहन अधिक भार लदान में निरुद्ध किये गये थे। विभाग ने मो0 या0 अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत ₹ 3.19 करोड़ शास्ति आरोपित किया और वाहनों को मुक्त कर दिया। सभी 1,786 प्रकरणों में कैरेज बाई रोड अधिनियम 2007 की धारा 5 (3) के अन्तर्गत ₹ 3.19 करोड़ शास्ति आरोपित करने के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। अग्रेतर, पंजीयन न कराने के लिये कैरेज बाई रोड अधिनियम की धारा 18 (1) के अन्तर्गत इन प्रकरणों में ₹ 88.58 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी। इसके फलस्वरूप ₹ 4.08 करोड़ की शास्ति का अनारोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–XV** में दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2014 से मई 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सामान्य वाहकों पर शास्ति आरोपित किया जाना है। इन सामान्य वाहकों को चिन्हित कर वास्तविक देयों की गणना के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना मंगायी जा रही है। अन्तिम स्थिति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

4.10 तीन माह से अधिक अभ्यर्पित वाहनों से कर/अतिरिक्त कर का वसूला न जाना

245 वाहन तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित किये गये थे परन्तु कराधान अधिकारियों ने देय कर/अतिरिक्त कर की धनराशि ₹ 53.22 लाख की वसूली नहीं की।

उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 (अक्टूबर 2009 में संशोधित) के नियम 22 में व्यवस्था है कि जब परिवहन यान स्वामी अपने मोटरयान को एक माह या अधिक अवधि

के लिए प्रयोग नहीं करता है तो कराधान अधिकारी को पंजीयन प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र व परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अभ्यर्पित करेगा। कराधान अधिकारी एक कैलेन्डर वर्ष में, तीन कैलेन्डर माह से अधिक, किसी वाहन के प्रयोग न किये जाने की सूचना स्वीकार नहीं करेगा तथापि, यदि स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ कराधान अधिकारी को आवेदन करता है तो सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि हेतु अभ्यर्पण स्वीकार कर सकेगा। यदि फिर भी ऐसा कोई वाहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा समर्पण की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेन्डर माह से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित बना रहता है, तो अभ्यर्पण रद्द माना जायेगा और वाहन स्वामी यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। पुनश्च, उप नियम (4) में निहित प्रावधानों के अधीन समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके वाहन का समर्पण पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, किसी भी कैलेन्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होगा चाहे कराधान अधिकारी से अभ्यर्पित दस्तावेज वापस लिए गये हों अथवा नहीं।

हमने 72 सं0प0का0/स0सं0प0का0 में से 16 सं0प0का0/स0सं0प0का0 की अभ्यर्पण पंजिका, वाहनों की पत्रावलियों, यात्री कर पंजिका और मालकर पंजिका की (अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 के मध्य) जाँच की और पाया कि 3,721 में से 245 वाहन जून 2013 से अक्टूबर 2014 की अवधि के दौरान तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित थे। सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा तीन माह से अधिक समर्पण की अवधि के विस्तार स्वीकार न किये जाने के बावजूद, कराधान अधिकारियों द्वारा देय कर/अतिरिक्त कर की वूसली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप ₹ 53.22 लाख के राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी जैसा कि **परिशिष्ट-XVI** में दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और ₹ 4.20 लाख की वसूली की। अन्तिम स्थिति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

4.11 जब्त वाहनों से कर एवं अतिरिक्त कर की वसूली न किया जाना

4.11.1 गुमशुदा जब्त वाहनों से राजस्व की वसूली न किया जाना

पुलिस थाने से गायब होने के कारण विभाग चार निरुद्ध वाहनों से बकाया देयों की वसूली नहीं कर सका।

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के अन्तर्गत, विभाग के प्रर्वतन शाखा द्वारा जब्त किए गये वाहन पर देय धनराशि तथा उन पर लगाये गये प्रशमन शुल्क के भुगतान हेतु वाहन स्वामी दायी होगें तथा उन्हे अवमुक्त करायेंगें। जहाँ वाहन स्वामी देय राशि के भुगतान हेतु उपस्थित नहीं होते है, तो ऐसे वाहनो को जब्त किए जाने की तिथि के 45 दिनों के बाद नीलाम किया जा सकता है तथा वसूल की गयी धनराशि को कर, अतिरिक्त कर, अर्थदण्ड तथा ऐसे नीलामी में हुए व्यय के प्रति समायोजित कर दिया जायेगा। अतिशेष धनराशि, यदि कोई हो, वाहन स्वामी को वापस कर दी जायेगी।

हमने स0 सं0 प0 अ0 गाजीपुर की जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच किया (अगस्त 2014) और पाया कि जुलाई 2003 से मई 2012 के दौरान उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय धनराशि जमा नहीं किए जाने के कारण प्रर्वतन शाखा द्वारा 11 वाहन जब्त किए गये थे। बकायेदार 45 दिनों के

निर्धारित अवधि के अन्दर देय धनराशि जमा करने में विफल रहे। जब्ती की तिथि से 45 दिनों की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा उक्त अधिनियम के तहत नीलामी के द्वारा देयों की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इन निरुद्ध वाहनों की नीलामी 17 जुलाई 2014 को की जानी थी किन्तु चार वाहन जिनसे ₹ 15.56 लाख बकाया वसूला जाना था सम्बन्धित पुलिस थाने में नहीं पाये गये। इस प्रकार चार वाहनों के गायब होने के कारण विभाग निरुद्ध वाहनों से बकाया 15.56 लाख की वसूली नहीं कर सका।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2014 से अप्रैल 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि नोटिस जारी की जा चुकी है (नवम्बर 2015) ।

4.11.2 जब्त वाहनों की नीलामी न होने से राजस्व का न वसूल होना

विभाग 16 जब्त वाहनों की नीलामी न किये जाने कारण राजस्व की वसूली नहीं कर सका।

हमने स0 सं0 प0 अ0 मऊ की जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच किया (अगस्त 2014) और पाया कि नवम्बर 2012 से जून 2014 के दौरान उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत 16 वाहन जब्त किए गये थे जिनसे ₹ 5.04 लाख देय धनराशि वसूल किया जाना था। इन वाहनों के स्वामियों ने जब्ती की तिथि से 45 दिनों के अन्दर देय धनराशि जमा नहीं किया। जब्ती की तिथि से दो माह से 21 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के वावजूद सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इन वाहनों की नीलामी के द्वारा जब्त वाहनो से देय ₹ 5.04 लाख की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2014 से अप्रैल 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि नोटिस जारी किया गया है (नवम्बर 2015)।

4.11.3 जब्त वाहनो की नीलामी से कम राजस्व का वसूल किया जाना

विभाग 29 जब्त वाहनों की नीलामी से देय धनराशि से कम राजस्व की वसूली कर सका।

हमने दो सं0प0 कार्यालयों के जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच की (जून 2013 और जुलाई 2013) और पाया कि मार्च 2000 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय धनराशि ₹ 10.40 लाख जमा न किए जाने के कारण प्रर्वतन शाखा द्वारा 29 वाहन जब्त किए गये थे। बकायेदार 45 दिनों की निर्धारित अवधि के अन्दर देय धनराशि जमा करने में विफल रहे। विभाग ने जनवरी 2014 से फरवरी 2014 के मध्य जब्त वाहनों की नीलामी सम्पन्न किया और देय धनराशि ₹ 10.40 लाख के सापेक्ष धनराशि ₹ 3.53 लाख की वसूली की। इस प्रकार जब्त वाहनों से धनराशि ₹ 6.87 लाख की वसूली नहीं की जा सकी। सम्बन्धित कार्यालयों ने शेष धनराशि ₹ 6.87 लाख की वसूलने हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया, जैसा कि **सारणी 4.6** में विवरण दिया गया है।

सारणी 4.6

जब्त वाहनों की नीलामी से राजस्व की कम वसूली

(धनराशि ₹ मे)

क्र0सं0	इकाई का नाम	वाहनों की कुल संख्या	वाहनों की जब्ती अवधि	नीलामी की तिथि	देय धनराशि	वसूल की गयी धनराशि	कम वसूल किया गया कर
1	सं0प0का0 मथुरा	19	03/2000 से 09/2012	27.01.2014	4,78,155	91,350	3,86,805
3	सं0प0का0 मुरादाबाद	10	08/2010 से 09/2011	07.02.2014	5,61,747	2,61,600	3,00,147
	योग	**29**	**03/2000 से 09/2012**		**10,39,902**	**3,52,950**	**6,86,952**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2014 से अप्रैल 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि नोटिस जारी किया गया है (नवम्बर 2015)।